भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3328
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कंपनियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने की पहल

3328. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी कंपनियां पंजीकृत की गई हैं;
(ख) सरकार द्वारा कंपनी पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट नीतियां या पहल कार्यान्वित की गई हैं; और
(ग) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 30.11.2024 तक पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या 112962 है।

(ख) कंपनियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:-

(i) पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सा.का.नि. 99(अ) के तहत 22.01.2016 को केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना की गई थी।

(ii) कई पहलों के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने की लागत में काफी कमी आई है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

(क) 15,00,000 रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों को शून्य शुल्क पर निगमित किया जाता है।

(ख) पैन एवं टैन आवेदनों को स्पाइस (कंपनी के निगमन के लिए वेब प्ररूप) + एमओए (ई-मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) + एओए (ई-आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के साथ एकीकरन करना तथा डीआईएन का आवंटन स्पाइस में एकीकृत करना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईसी), व्यावसायिक कर पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीटीआरसी), व्यावसायिक कर नामांकन प्रमाणपत्र (पीटीईसी), दुकानें एवं स्थापना अधिनियम, जीएसटीआइएन, के साथ पंजीकरण ने लागत, समय और प्रक्रियाओं को कम कर दिया है।

(ग) कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 38(2) में प्रावधान है कि तीन निदेशकों तक निदेशक पहचान संख्या के आवंटन, नाम का आरक्षण, कंपनी का निगमन और प्रस्तावित एकल व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए एकल स्पाइस+ प्ररूप का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) वर्ष 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन किए गए ताकि व्यापार करने में आसानी हो, अपराधों का डीक्रिमिनलाइजेंशन और अनुपालन अपेक्षाओं में सुधार किया जा सके, विशेष रूप से लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप और निर्माता कंपनियों के लिए।

(iv) निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धर्मार्थ कंपनियों, निधि कंपनियों और आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) कंपनियों को कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(ग) विगत तीन वर्षों (अर्थात् 1.4.2021 से 31.3.2024 तक) के दौरान राजस्थान में पंजीकृत कम्पनियों का जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ज़िला	विगत तीन वर्षों में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या
1	अजमेर	**508**
2	अलवर	**349**
3	अनूपगढ़	**71**
4	बालोतरा	**68**
5	बांसवाड़ा	**102**
6	बरन	**91**
7	बाड़मेर	**82**
8	ब्यावर	**136**
9	भरतपुर	**123**
10	भीलवाड़ा	**328**
11	बीकानेर	**490**
12	बूंदी	**123**
13	चित्तौड़गढ़	**240**
14	चुरू	**212**
15	दौसा	**121**
16	डीग	**99**
17	धौलपुर	**92**
18	डीडवाना-कुचामन	**182**
19	डूडू	**85**
20	डूंगरपुर	**76**
21	गंगानगर	**348**
22	गंगापुरसिटी	**63**
23	हनुमानगढ़	**136**
24	जयपुर	**8299**
25	जयपुर (ग्रामीण)	**736**
26	जैसलमेर	**58**
27	जालौर	**33**
28	झालावाड़	**98**
29	झुंझुनू	**256**
30	जोधपुर	**542**

31	जोधपुर (ग्रामीण)	**397**
32	करौली	**46**
33	केकड़ी	**85**
34	खैरथल-तिजारा	**437**
35	कोटा	**663**
36	कोटपूतली-बहरोड़	**280**
37	नागौर	**92**
38	नीम का थाना	**124**
39	पाली	**176**
40	फलौदी	**249**
41	प्रतापगढ़	**56**
42	राजसमंद	**594**
43	सलुम्बर	**244**
44	सांचोर	**32**
45	सवाई माधोपुर	**58**
46	शाहपुरा	**234**
47	सीकर	**352**
48	सिरोही	**104**
49	टोंक	**91**
50	उदयपुर	**595**
	कुल	**19056**